इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014—चैत्र 14, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2014

क्र. एफ-14-09-2013-तीन-जेल.—बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का 32) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बंदी (न्यायालयों में उपस्थिति) नियम, 1958 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5-क में, विद्यमान उपनियम (2) एवं (3) को उपनियम (3) तथा (4) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (3) के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) (क) संबंधित जेल अधीक्षक, जेल के खतरनाक तथा संवेदनशील बंदियों के संबंध में नीचे दी

गई विशिष्टियों के साथ एक सूची, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक को, जिस जिले में वह जेल स्थित है और जिस जिले से ऐसे खतरनाक या संवेदनशील बंदी संबंधित हैं, देगा—

(एक) बंदी का नाम, निवास का विवरण.

(दो) बंदी के विरुद्ध खतरनाक अपराधों का विवरण. (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा-391, 394, 396, 398, 399, 406, 365, 366, 458, 322 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65), विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52), अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) से संबंधित.

(तीन) फरारी के पश्चात् पुनः गिरफ्तार किये गए बंदी.

(चार) ऐसे बंदी जिन्होंने जेल में रहते हुए गम्भीर कदाचरण किया हो और जेल से संबंधित अपराध के लिए दण्डित किये गए हों अथवा भारतीय दण्ड संहिता की, जेल से संबंधित किसी धारा के अधीन अपराध के लिये दण्डित या अभियोजित किये गए हों.

(पांच) ऐसे बंदी जो मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डादिष्ट किये गए हों, और जिनके मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया हो.

(ख) जब भी किसी खतरनाक एवं संवेदनशील बंदी को न्यायालय में सुनवाई या उपस्थिति हेतु एक जेल से दूसरी जेल स्थानांतरित किया जाना हो अथवा चिकित्सीय उपचार हेतु जेल से अस्पताल में भर्ती किया जाना हो या प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित किया जाना हो, तो ऐसे बंदी के लिए पुलिस गार्ड की माँग करते समय जेल अधीक्षक लिखित में जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी को अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत भेंट कर ऐसे खतरनाक एवं संवेदनशील कैदियों का विवरण स्पष्ट रूप से संसूचित करेंगे.

(ग) संसूचित किये गए खतरनाक एवं संवेदनशील बंदियों को पुलिस को सौंपते समय जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें पुलिस द्वारा केवल शासकीय वाहन से न्यायालय एवं अस्पताल ले जाया जा रहा है और पुलिस के भारसाधक अधिकारी से एक घोषणा-पत्र लेंगे कि उन्हें सौंपे गए बंदी को निजी अथवा सार्वजनिक वाहन में बैठने की अनुमति नहीं देंगे.

Number F-14-09-2013-Three-Jail.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 9 of the prisoners (Attendance in Courts) Act, 1955, (No. 32 of 1955), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Prisoners (Attendance in Courts) Rules, 1958, namely:—

AMENDMENT

In the said rule 5-A, the existing sub-rule (2) and (3) shall be renumbered as sub-rule (3) and (4), thereof and before sub-rule (3) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) (a) Superintendent of the concerning jail shall give a list of the Prisoners as under with the particulars in respect of the dangerous and sensitive prisonsers in the jails to the District Magistrate and Superintendent of Police of the district in which the jail is located and the district to which the dangerous or sensitive prisoners belong:—

(i) Name of prisoners, particulars of residence.

(ii) Particulars of dangerous offences against the prisoners (relating to sections 391, 394, 396, 398, 399, 406, 365, 366, 458, 322 Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860), Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (No. 37 of 1967), National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974), Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (No. 104 of 1956).

(iii) Prisoners rearrested after absconding.

(iv) Prisoners who showed serious misconduct while remaining in the jail

and have been punished for offence relating to jail or have been punished or prosecuted for the offences relating to jail under any section of Indian Penal Code.

(v) Such prisoners who have been sentenced with the punishment of death and whose death sentence has been commuted into life imprisonment.

(b) When any dangerous and sensitive prisoner is to be transferred from one jail to another jail so as to be presented in the court for appearance or hearing or as to be admitted in the hospital from the jail for medical treatment or an administrative grounds then on demanding the police guard for such prisoner, the jail Superintendent shall inform the District Superintendent of Police and District Magistrate wide demi-official letter of shall personally contact and inform them the particulars of such dangerous or sensitive prisoners.

(c) While handing over such informed dangerous and sensitive prisoners to the police, the jail superintendent shall confirm that prisoners are being transported to Court and Hospital only by govt. vehicle and shall obtain a declaration from the in-charge police officer that they will not give permission to such prisoner for traveling by any private or public vehicle."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.